



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक : शोध/2023-24/116

दिनांक : 03-02-2024

प्रेषित,


समस्त विभागाध्यक्ष/प्राचार्य,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर।

विषय :- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सार्वजनिक सूचना (Public Notice)**
क्रमांक 1-1/2024/SA-I दिनांक 18/01/2024 के क्रम में ।

महोदय/महोदया

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन कर लेख है, कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने Post-Doctral/Doctral Fellowship की बकाया छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में दिनांक 18/01/2024 को उपरोक्त वर्णित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 16/10/2023 की सार्वजनिक सूचना क्रमांक F-21-1/2010 (PDFPPolicy/SA-III) के क्रम में दिनांक 01/01/2023 से Fellowship की संशोधित दरों के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया है। साथ ही उन्होंने सभी हितधारक (Stakeholders) उच्च शिक्षण संस्थानों से निवेदन किया है कि वे दिनांक 31/12/2023 तक के सभी बकाया Fellowship/HRA/Contingency हेतु दिनांक 08 फरवरी, 2024 तक SFMP पोर्टल पर दावा प्रस्तुत कर दें। उन्होंने इस सूचना में निर्देशित किया है कि दिनांक 08 फरवरी, 2024 के बाद किसी प्रकार के बकाया दावों (31/12/2023 तक के) को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

अतः यदि किसी JRF/SRF धारित शोधार्थी का 31/12/2023 तक कोई बिल लम्बित है तो वे अपने शोध निर्देशक के सत्यापन के बाद सम्बन्धित विभाग से अग्रप्रेषण करा दिनांक 05/02/2024 तक कार्यालय समय में शोध अनुभाग में प्रेषित करवा दें। इसके पश्चात आने वाले बिलों के निस्तारण की जावबदेही शोध अनुभाग की नहीं रहेगी।


(डॉ. संजीव कुमार)
शोध निदेशक